



6

IN THE HON'BLE BOARD OF REVENUE GWALIOR CAMP AT INDORE

P B 2 अपील/इंदौर/भू.सं./2017/3538 Appeal No. _____/2017

Appellants

1. Akhilesh
Son of Shri Laxminarayan Gupta
Aged about 45 years
Occupation business
R/o 522, Khativala Tank Indore
2. Laxminarayan Gupta
S/o Shri Budhichand Gupta
Aged about 64 years
Occupation business
Both R/o 521, Khativala Tank Indore
3. Manish Bansal
Son of Shri Radheshyam Bansal
Aged about 42 years, R/o 32 Janaki
Nagar Main Indore

श्री. प्रदीप शर्मा
द्वारा 31-11-17 को दायर
अप्रत्यक्ष विवाद।
21-11-17

VERSUS

Respondents

1. State of M.P.
Through Collector .
Indore.
2. Sub Divisional Officer (Revenue)-
cum-Mining Officer
Indore.

APPEAL UNDER SECTION 44 OF MP LAND REVENUE CODE, 1959

MAY IT PLEASE YOUR HONOUR

This humble appeal of appellants above named

MOST RESPECTFULLY SHEWETH

1/ That the appellant is filing the present appeal on being aggrieved by orders dated 26/7/2017 and 24/12/2014 passed in case No. 185/appeal/2014-15 and 2/A-6/2014-15 passed by the Additional Commissioner, Indore Division Indore and SDO (Revenue) Indore,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक

PBR/अपील सं. 7 (अ.सं.) 2017/3538

जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-11-2017	<p>आवेदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 26-7-17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा विधिवत् मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 का उल्लेख करते हुये स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील कलेक्टर को होकर अपर आयुक्त को नहीं होगी । अतः उनके द्वारा आवेदकगण को सक्षम न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु वापिस करने में प्रथमदृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है । इसलिये यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।</p>	<p>(मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>